छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 165 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2023-02031**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''गोविंद विहार'', प्रमोटर–गुरूकृपा बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री गगन काबरा, पता–जे.एन. काबरा कॉम्लेक्स, सदर रोड, जिला–बेमेतरा प्रोजेक्ट–''गोविंद विहार'' ग्राम–सिंधौरी, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
10/01/2024	– प्रकरण प्रस्तुत। – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''गोविंद विहार'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA231019001060** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 23.10.2019 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 30.09.2021 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा–59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। रजिस्ट्रार, छ..ग द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 08.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 30.11.2023 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – अनावेदक द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम में जवाब प्रस्तुत करते हुये लेख किया गया है कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के लिये प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का लेख किया गया है। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट की वैधता दिनाँक 30.09.2021 को समाप्त हो गया है। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के विस्तारण के लिये प्राधिकरण के समक्ष दिनाँक 19.12.2023 को आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। अतः अनावेदक को	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 165 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2023-02031**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''गोविंद विहार'', प्रमोटर–गुरूकृपा बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री गगन काबरा, पता–जे.एन. काबरा कॉम्लेक्स, सदर रोड, जिला–बेमेतरा

प्रोजेक्ट–''गोविंद विहार'' ग्राम–सिंधौरी, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	अधिनियम के प्रावधानों का भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	